

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की महत्वपूर्ण धाराएं (नं० 49 / 1988)

धारा 01:— जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू।

धारा 02:— परिभाषा:—

(ब):— **लोक कर्तव्य**:— से आशय है कोई ऐसा कर्तव्य, जिसके निर्वहन में राज्य जनता या समाज को रुचि हैं।

(स):— **लोक सेवक**:— से आशय है:— (1) कोई व्यक्ति, जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में हो या वेतनाधीन हो अथवा उसे इसके लिए कोई फीस, कमीशन या पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में हो या वेतनाधीन हो।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य की किसी विधि द्वारा गठित किसी निगम, प्राधिकरण या निकाय में कार्यरत हैं, जिसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या उसके नियन्त्राधीन है या कोई शासकीय कम्पनी जैसा की कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 617 में परिभाषित है।

- (4) कोई न्यायाधीश, या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जिसे स्वयं या किसी समूह के सदस्य के नाते न्याय-निर्णयन का कार्य करना हो।
- (5) कोई व्यक्ति, जिसे न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी कर्तव्य निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया हो एवं इसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त समापक, प्रापक एवं आयुक्त भी शामिल हैं।
- (6) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए दिया गया हो।
- (7) निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने या निर्वाचन संचालन करने के लिए सशक्त व्यक्ति।
- (8) कोई व्यक्ति, जो ऐसा पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य निर्वहन करने के लिए अधिकृत है।
- (9) कोई व्यक्ति, जो किसी पंजीकृत सहकारी संस्था, जो कृषि के उधोग, व्यापार या बैंकिंग में कार्यरत है का सचिव, अध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी है।

(10) कोई व्यक्ति, जो किसी सेवाआयोग का चेयरमैन या सदस्य या कर्मचारी है।

(11) कोई व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति या सदस्य है या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी है, जो परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित हो।

(12) कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी ऐसी संस्था का प्राधिकारी या कर्मचारी है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, या प्राप्त हो चुकी है।

स्पष्टीकरणः— (1) उपरोक्त वर्णित उपखण्डों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति “लोक सेवक” है चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं।

(2) “लोक सेवक” शब्द उस व्यक्ति के संबंध में भी समझा जायेगा, जो लोक सेवक के पद को धारण किया हो, चाहे वह उस पद के धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

धारा 3:— विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार।

धारा 4:— विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण।

धारा 5:— विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया।

धारा 6:— संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

धारा 7:— लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में, वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करना:— यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई पारितोषण या इनाम किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करें या करने से विरत रहे तो वह इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी है।

दण्ड:— ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो छः माह से कम नहीं होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 8:- लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना:- यह धारा उन व्यक्तियों को भी सजा की परिधि में लाती है, जो लोक सेवक को भ्रष्ट तरीके से प्रभावित करके गलत कार्य कराना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एडवोकेट का कार्य अपनी फीस लेकर अपना मुवक्किल के वाद की पैरवी करना होता है परन्तु यदि वह अपने मुवक्किल से पैसा लेकर भ्रष्ट तरीके से अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए जज को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पाँच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 9:- लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए परितोषण का लेना:- जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने हेतु प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना पदीय कार्य करें या विरत रहे या कोई अनुग्रह दिखाये या दिखाने से विरत रहे तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पाँच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 10:- लोक सेवक द्वारा धारा 8 व 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण का दण्डः— जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पाँच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 11:- लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति:— किसी लोक सेवक द्वारा अपने द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित, किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल के द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने पर वह इस धारा के अपराध का दोषी होगा।

अर्थात् लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान चीज न ले, जिसका राजकीय कार्यवाही से सम्बन्ध हो। सजा— उपरोक्त

धारा 12:— धारा 7 या धारा 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण:— जो कोई धारा 7 या 11 के अपराध का दुष्प्रेरण करेगा भले ही उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध घटित हो या नहीं वह उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

धारा 13:— लोक सेवक द्वारा अपराधिक अवचार (दुराचरण):— लोक सेवक आपराधिक अपराध का अवचार करने वाला कहा जाता है— यदि वह

(अ) स्वभावतः धारा 7 में अन्त्विष्ट अधिकृत कार्य में वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण किसी व्यक्ति से स्वीकार करता है, प्राप्त करता है या स्वीकार करने को सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(ब) यदि वह स्वभावतः धारा 11 में वर्णित बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या ऐसा करने का सहमत होता है या प्रयास करता है।

(स) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियन्त्राधीन सम्पत्ति का बेईमानी या छल से दुर्वनियोग या अपने प्रयोग में लाता है या किसी अन्य को ऐसा करने देता है

(द) यदि वह—

- ❖ यदि वह भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है या
- ❖ लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुप्रयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करता है।
- ❖ ऐसे लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए किसी लोक रुचि के बिना (जनहित के बिना) किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है।

(य) यदि उसके या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन, सम्पत्ति है, जो उसकी आय के अनुपात से अधिक है, जिसका वह संतोषप्रद रूप से हवाला नहीं दे सकता अथवा उसकी ज्ञात आय के श्रोतों से समानुपातिक नहीं है।

उपधारा 2:— आपराधिक दुराचरण करने का दोषी लोक सेवक न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम सात वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 14:— धारा 8, 9 और 12 के अधीन अभ्यस्तः अपराध करना:— जो कोई अभ्यस्तः धारा 8, 9, 12 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है— न्यूनतम दो वर्ष अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 15— प्रयास के लिए दण्डः— जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के उपखण्ड स और द में वर्णित अपराध करने का प्रयास करता है वह तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 17:— विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति:— निम्नलिखित रैंक की पंक्ति का पुलिस अधिकारी—

अ— दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में निरीक्षक

ब— बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद तथा अन्य किसी मैटो पौलेटिन सिटी में सहायक पुलिस आयुक्त।

स— अन्यत्र उपपुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जो पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का न हो वह भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का अन्वेषण तथा वारन्ट के बिना गिरफ्तारी कर सकेगा। परन्तु यह ओर भी के धारा 13 की उपधारा 1 के खण्ड “य” में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

धारा 19:— अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का होना आवश्यकः— कोई न्यायालय धारा 7, 10, 11, 13, 15 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, जो लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं कर सकेगा—

1— केन्द्र सरकार

2— राज्य सरकार— ऐसा लोक सेवक, जो उपरोक्त सरकार द्वारा या मंजूरी से हटाया जा सकता है।

3— किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा

4— उक्त खण्ड 3 में निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व मंजूरी देने में यदि असफल रहता है तो पूर्व मंजूरी (स्वीकृति) राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी। उ0प्र0 संशोधन 1991

►यह शंका उत्पन्न होने पर के अपेक्षित मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहा ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो लोक सेवक को अपराध किये जाने के समय उसके पद से उसे हटाने के लिए सक्षम था।

► दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी दी गई मंजूरी में किसी अनियमितता, लोप या (मंजूरी के अभाव के कारण) अथवा गलती के कारण (मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम न हो) के कारण न्यायालय द्वारा सामान्यतः कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी।

धारा 20— लोक सेवक के विरुद्ध धारणा:— धारा 7, 11, या 13 की उपधारा 1 के खण्ड अ या ब के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण में लोक सेवक के विरुद्ध

धारा 12 (धारा 7 एवं 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण) के विचारण में देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की जायेगी।

धारा 21:— अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना:— अपनी इच्छा से अपने बचाव के लिए साक्षी बन सकता है।

धारा 22 कुछ उपान्तरणों के साथ द०प्र०सं० का प्रयुक्त होना:—

अ— धारा 243 द०प्र०सं० (वारन्ट मामलों में बचाव पक्ष के साक्ष्य के समय) अभियुक्त से अपेक्षा की जायेगी की वह तुरन्त अथवा न्यायालय द्वारा दिये गये समय के भीतर अपने गवाहों की ओर उन दस्तावेजों की, जिन पर निर्भर करना चाहता है एक लिखित सूची दें

ब— धारा 309 की उपधारा 2 के तीसरे परन्तुक के पश्चात निम्न परन्तुक रखा जायेगा—

परन्तु यह कि कार्यवाही को केवल इस आधार पर स्थगित नहीं किया जायेगा के कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन रिवीजन किया गया है।

धारा 370 द०प्र०सं० में किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में जॉच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा परन्तु अभियुक्त द्वारा माँग किये जाने पर उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

धारा 24— रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना— अधिनियम की धारा 7 से 11 अथवा धारा 13 या 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोकसेवक के विरुद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उस लोक सेवक को वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या सहमति दी थी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध (वादी) धारा 12 के अधीन कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा अर्थात् वादी के विरुद्ध दुष्प्रेरक के रूप में अभियोजन नहीं हो सकेगा।

धारा 27— अपील एवं रिवीजन— उच्च न्यायालय के समक्ष किया जायेगा।

धारा 28— इस अधिनियम का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

(1961 का 28वां अधिनियम)

धारा—1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ— जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में दिनांक 20 मई 1961 से प्रभावशील

धारा—2, दहेज की परिभाषा— इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य है—

क. विवाह के एकपक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिये या

ख. विवाह के किसी पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिये

विवाह करने के सम्बन्ध में(विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय)प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिये प्रतिज्ञा की गयी किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है,जिन्हें शरियत लागू होती है मेहर इसके अन्तर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण— मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है।

धारा-3, दहेज देने या दहेज लेने के लिये शास्ति— इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज लेने या देने के लिये दुष्प्रेरित करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम न हो और 15 हजार रुपये या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम के बराबर इनमें जो भी अधिक हो ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय ऐसी पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किये जाने 5 वर्ष से कम की अवधि का कारावास का दंड दे सकेगा।

(2) उपधारा एक की कोई बात निम्न के संबन्ध में लागू नहीं होगी

विवाह के समय वर एवं वधू को दी गयी भेंटें(इस निमित्त कोई मांग किये गये बिना) परन्तु ऐसी भेंटे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनायी गयी सूची में प्रविष्ट की जायेगी।

धारा-4, दहेज मांगने के लिये शास्ति— यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वर या वधू के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है—न्यूनतम 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माना से दंडनीय होगा।

धारा-4(क)—विज्ञापन पर पाबंदी— यदि कोई व्यक्ति—

क. किसी दैनिक,नियतकालिक समाचार पत्र में या अन्य किसी माध्यम से किसी विज्ञापन के द्वारा अपने पुत्र या पुत्री या अन्य किसी रिश्तेदार के विवाह के उपलक्ष्य में किसी कारोबार में अंश के रूप में अन्य हित,अपनी सम्पत्ति में कोई अंश या धन, दोनों देने का प्रस्ताव करता है

ख. खंड क में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित,प्रकाशित या प्रसारित करता है—न्यूनतम 6 माह अधिकतम 5 वर्ष अथवा 15 हजार रुपये से दंडनीय होगा।

पर्याप्त और विशेष कारण लेखबद्ध कर 6 माह से कम भी कर सकते हैं।

धारा—5, दहेज देने या लेने के लिये करार का शून्य होना— किया गया करार शून्य (व्यर्थ) होगा।

टिप्पणी— विवाह के अनुबंध स्वरूप तिलक में दी गयी राशि यदि विवाह न हो तो वापसी योग्य न होगी क्योंकि अनुबंध व्यर्थ है।

धारा—6, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिये होना— जब कोई दहेज उस स्त्री के अतिरिक्त, अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाये तो वह व्यक्ति उसे उस स्त्री को हस्तांतरित कर देगा—

क. यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया हो तो विवाह से 3 मास के भीतर

ख. यदि दहेज विवाह के समय या पश्चात प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी प्राप्ति के दिनांक से 3 मास के भीतर या

ग. यदि स्त्री अवयरक हो तो उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के 3 मास के भीतर, तथा ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के लाभ के

लिये धारण करेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति उपधारा एक में निर्दिष्ट समय के भीतर या उपधारा तीन द्वारा यथा अपेक्षित कोई सम्पत्ति अंतरण करने में असफल रहता है तो वह कारावास से— न्यूनतम् 6 माह अधिकतम् 2 वर्ष या जुर्माना न्यूनतम् 5 हजार से 10 हजार तक या दोनों से दंडित किया जायेगा।
3. जब उपधारा एक के अधीन सम्पत्ति के लिये स्वत्व धारण करने वाली स्त्री उसे प्राप्त करने के पूर्व मर जाये तो उस स्त्री के वारिस उस सम्पत्ति को धारण करने वाले व्यक्ति से सम्पत्ति पाने के लिये दावा करने के अधिकारी होंगे।

परन्तु जहाँ ऐसी किसी स्त्री की विवाह के सात वर्षों के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सम्पत्ति निसंतान होने पर उसके माता पिता को संतान हो तो संतानों को अंतरित होगी।

(3-क)—उपधारा दो अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति ने अपनी दोष सिद्धि के पूर्व, ऐसी सम्पत्ति उसकी हकदार स्त्री या यथा स्थिति उसके माता पिता, संतान को अंतरित नहीं की हो तो न्यायालय दंड देने के अतिरिक्त लिखित में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को उसके हकदार को (स्त्री, संतान, माता पिता) को आदेश में दी गयी अवधि में अंतरित करे। निर्दिष्ट अवधि में निर्देश का पालन करने में असफल रहने पर सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उससे ऐसी वसूल की जा सकेगी, मानो कि वह उस न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं यह रकम उसके हकदार को दी जायेगी।

4. धारा तीन व चार की कार्यवाही के साथ भी इस धारा का प्रयोग हो सकेगा।

धारा-7, अपराधों का संज्ञान— 1. इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे वाला न्यायालय नहीं करेगा।

और संज्ञान न्यायालय द्वारा अपनी जानकारी पर या पुलिस की रिपोर्ट

पर या अपराध से व्यक्ति व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था या संगठन के परिवाद पर कर सकेगा।

2. द०प्र०सं० 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर लागू नहीं होगी—परिसीमाकाल
3. व्यक्ति व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन उसे इस अधिनियम के अधीन अधियोजन के अध्यधीन नहीं करेगा।

धारा—8, अपराधों का अजमानतीय,अशमनीय एवं कुछ प्रयोजनों के लिये संज्ञेय होना—इस अधिनियम के समस्त अपराध अजमानतीय,असमनीय एवं विवेचना के लिये पुलिस द्वारा संज्ञेय माने जायेगे,बगैर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना नहीं हो सकेगी।

धारा 8 (A). कतिपय वादों में सबूत का भार—धारा तीन या चार के अधीन अपराध न करने की सत्यता को सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा।

धारा 8 (B) – दहेज निषेध अधिकारी

1. राज्य सरकार जितना उचित समझे उतने दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
2. द०नि०अ० निम्न शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेगा—
 - क. देखेगा कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया है
 - ख. जितना संभव हो दहेज का लेना, माँगना रोकेगा
 - ग. अभियुक्त के अभियोजन के लिये आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना
 - घ. सरकार द्वारा सौंपे गये एवं नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगा।
3. राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अफसर की शक्तियों प्रदत्त कर सकती है।

दहेज निषेध अधिकारी को सलाह देने और सहायता करने के आशय से राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद(जिसमें 5 सामाजिक कल्याण कार्य कर्ता से अधिक नहीं होगें एवं उनमें कम से कम दो महिलायें होंगी) नियुक्त कर सकेगी।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908

(अधिनियम सं 6 / 1908)

धारा—1, इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है, और यह भारत से बाहर भी भारत के नागरिकों पर लागू होता है।

धारा—2, परिभाषा—

क. विस्फोटक पदार्थ के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिये सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने में प्रयुक्त की जाने के लिये आशयित कोई उपकरण, मशीन या सामग्री या उपकरण मशीन का कोई भाग

ख. विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ—जैसे, आर0डी0एक्स, टी0एन0टी0, एल0टी0पी0ई0आदि एवं इनके यौगिक, तथा अन्य समान प्रकार के विस्फोटक और कोई अन्य पदार्थ जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे।

धारा—3, जीवन और सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट करने के लिये दंड—कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से तथा विद्वेषपूर्ण रूप से

क. किसी विस्फोटक पदार्थ से इस प्रकार का विस्फोट करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या सम्पत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना हो—चाहे कोई क्षति हुई हो या नहीं— न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास से या आजीवन कारावास से एवं जुर्माने से दंडित होगा।

ख. किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा विस्फोट कारित करेगा—मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास से एवं जुर्माने से दंडित होगा।

एक व्यक्ति रमेश बस स्टैण्ड पर मानव क्षति करने के आशय से एक बम फेंकता है जो फट जाता है परन्तु उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचती है रमेश ने इस धारा के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किया है।

धारा—4, विस्फोटकारित करने के प्रयत्न के लिये अथवा जीवन या सम्पत्ति को जो जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिये दंड— कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतः और विद्वेषतः का इस प्रकार का विस्फोट करेगा जिससे जीवन के खतरे पड़ने या सम्पत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी विशेष वर्ग के

विस्फोटक पदार्थ द्वारा करने के आशय से कोई कार्य करता है या कार्य करने हेतु षड्यंत्र करता है या

ख. कोई विस्फोटक पदार्थ या किसी विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाता है या अपने पास या अपने नियंत्रण में रखता है कि उसके द्वारा वह जीवन को खतरे में डाले या सम्पत्ति को गंभीर क्षति करे चाहे कोई विस्फोट हो या नहीं और चाहे किसी व्यक्ति को या किसी सम्पत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो या नहीं—विस्फोटक पदार्थ के मामले में आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की अवधि के किसी भी प्रकार के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में कठोर आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

धारा—5, संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिये दंड— कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई

विस्फोटक पदार्थ या किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ बनाता है, या जानबूझकर अपने पास या अपने नियंत्रण में रखता है जिससे के यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि उसने उसे विधि पूर्ण उददेश्य के लिये नहीं बनाया था या अपने पास नहीं रखा था—

क. विस्फोटक पदार्थ के मामले में 10 वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित

ख. विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में कठोर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित

धारा-6, दुष्प्रेरको को दंड- कोई व्यक्ति जो धन देकर या परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री देकर या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, उसके किये जाने के लिये मंत्रणा देता है, सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है उस अपराध के लिये उपबंधित दंड से दंडित किया जायेगा।

धारा-7, इस अधिनियम मे दिये गये किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति के विचारण के लिये कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा।